and services in India. Intellectual property rights issues are being negotiated in the Uruguay Round. Government have communicated to the US that the Uruguay Round negotiations provide the best mechanism for resolving these issues.

There is no proposal for issuing a white paper on the subject.

खाद्य पदार्थों के निर्यात पर उपकर

51. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात से कितना उपकर अर्जित किया गया;

(ख) क्या "एपीडा" के माध्यम से फलों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संबद्ध उत्पादकों, व्यापारियों और संस्थाओं पर भी उपर्युक्त आय में से कुछ धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न मदों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या "एपीडा" ने मांग की है कि उपर्युक्त धनराशि "एपीडा" को दी जाए; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कृषि वस्तुओं के संबंध में इस समय उपकर विभिन्न उपकर अधिनियमों के तहत एकत्र किया जा रहा है जैसे कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 (1940 का अधिनियम सं. 27), उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम सं. 15) और विभिन्न वस्त् बोर्ड अधिनियम-जैसे मसाला उपकर अधिनियम, 1986, एपीडा उपकर अधिनियम, 1985, एम्पीडा उपकर अधिनियम, तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 आदि । वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान एकत्र उपकर निम्नानुसार रहा :—

(करोड़ रु०)

मद	1991–92	1992–93
1. काफी	2.57	2.46
2. तम्बाकू (अनिर्मित)	2.36	1.57
3. खली एवं आटा	0.48	1.40
4. समुद्री उत्पाद	8.91	11.02
5. काजू गिरी	3.18	3.28
6. काली मिर्च	0.37	0.38
7. इलायची अधिनियम, 1965	0.11	0.11
8. इलायची (ए०पी० उपस्कर)	0.57	0.12
9. अन्य कृषि उत्पाद	9.50	12.39

स्रोत : बजट 1993-94 की आय ।

(ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3) के तहत, सीमा शुल्कों की आय को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और इस संबंध में यदि कानून सम्मत संसदीय विनियोग में ऐसी व्यवस्था है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी वसूली में से वसूल करने के खर्च काटकर शेष राशि में से उतनी राशि समय-समय पर प्राधिकरण को दे सकती है जो वह एपीडा अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु उपयुक्त समझे । एपीडा को इस प्रकार आबंटित राशि का उपयोग एपीडा अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात संवर्धन से संबंधित विकासात्मक कार्यकलापों के लिए किया जाता है ।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान एपीडा के लिए 1.9 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था ।

(घ) और (ङ) एकत्र किए गए उपकर को लौटाने के लिए एपीडा के अनुरोध पर विचार किया गया था । स्थिति यह है कि सरकार एपीडा उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत एकत्र धन को तब तक रख सकती है जब तक कि संसद द्वारा पारित समुचित विनियोग अधिनियम द्वारा इसे प्राधिकरण को दिए जाने का निदेश न दिया जाए। वर्ष 1993-94 के लिए 1993-94 के बजट प्राक्कलनों में एपीडा के लिए 623 लाख रु. का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

Revised Export-Import Policy

52. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have undertaken a modest liberalisation covering areas such as import of second-hand capital goods, silver and electronic items;

(b) whether it is also a fact that this liberalisation has not been incorporated in the revised export-import policy, recently, announced by Government; and

(c) if so, the details thereof and the reasons for not including this liberalisation in the revised export-import policy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) Yes, Sir. The modest liberalisation undertaken in respect of import of second-hand capital goods, silver and electronic items has been incorporated in the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised edition March 1993) copies of which are available in the Parliament Library.

Introduction of Pension Scheme for Workers

53. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : MISS SAROJ KHAPARDE : SHRI SHANTI TYAGI :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to implement a new pension scheme for workers of the country;

(b) if so, the main features of the scheme;

(c) whether it is also a fact that Government have received a number of representations from the Workers' Organisations against the Scheme;

(d) if so, the main points raised in the representation; and

(e) whether Government propose to re-examine the scheme to make it acceptable to the workers concerned ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI FABAN SINGH GHATOWAR) : **(a) Yes Sir.**

(b) The main features of the proposed Pension Scheme are as under :—

(i) The Scheme will not entail any further financial commitment on the part of the employees or the employers.

(ii) Pension will be payable on monthly basis to :—

— employees superannuating at 58 years of age or leaving service earlier with qualifying service of 20 years subject to a minimum of 10 years of membership; pension being payable on the basis of average salary of the last five years of service.

— employees sustaining permanent total disablement during service.